न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं0 18/2014

हीरा पुत्र माला जाति मेघवंशी निवासी ग्राम चेलासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनु
—आवेदक

बनाम गोविन्द

1. गोविन्द
2. विद्याधर
3. मगना पुत्रान गुलाराम जाति मेघवंशी निवासीगण ग्राम चेलासी तहसील नवलगढ
4. शाखा प्रबंधक बैंक आफ बडौदा शाखा नवलगढ तहसील नवलगढ
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

— अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अं.धा. 251ए
रा.का.अधि.
निर्णय

निर्णय दिनांक 09.07.2018

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम चेलासी की सरहद में भूमि खाता सं0 35 की भूमि ख.न. 434/1.37, 492/1.51 है0 किता 2 कुल रकबा 2.88है0 स्थित है। उक्त भूमि का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा ग्राम चेलासी की सरहद में भूमि खाता सं0 36 की भूमि ख.न. 397/0.83, 449/1.11 किता 2 कुल रकबा 1.94 है0 स्थित है। उपरोक्त भूमि के अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 3 खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की भूमि ख.न. 434/1.37 है0 तथा अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 की भूमि ख.न. 397/0.83 है0 एक स्थान पर एक दूसरे से सटकर है। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 की भूमि ख.न. 397 रकबा 0.83 है0 ग्राम चेलासी से पूनियों की ढाणी तन नाहरसिंहानी को जाने वाली कटानशुदा रास्ते पर स्थित है तथा प्रार्थी की भूमि ख.न. 434/1.37 है0 ख.न. 397/0.83 है0 के पूर्व दिशा में सटकर है। तथा अन्य खसरा नम्बर की भूमि अन्य स्थान पर स्थित है।

प्रार्थी की खातेदारी व राजस्व रिकार्ड की भूमि ख.न. 434 रकबा 1.37 है0 में प्रार्थी अपने आवासीय मकानात बनाकर मय परिवार आबाद है तथा इसी ख.न. में प्रार्थी विद्युत पम्पिंगसैट लगाकर अपनी भूमि की सिंचाई करके भूमि को काश्त करता है। प्रार्थी अपनी भूमि को काश्त करने के लिये हमेशा से ही अप्रार्थीगण की भूमि ख.न. 397 रकबा 0.83 है0 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे होकर आवागमन करके अपनी भूमि ख.न. 434 को काश्त करता आया है। इसी रास्ते से खेत की जुताई अनाज निकालने के लिये शादी विवाह के लिये जी उंटगाडी व अन्य आवागमन के साधन लेकर प्रार्थी अपने खेत ख.न. 434 में आता जाता रहा है। परन्तु उक्त रास्ता जिसे प्रार्थी द्वारा नजरी नक्शे में ए से बी बिन्दुओ से दर्शाया गया है जो 10 फीट चौडा है राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है इसलिये प्रार्थी अं. धारा 251ए रा.का.अ. के तहत उक्त रास्ता चेलासी से पूनियों की ढाणी तन नाहरसिहानी से जाने वाले आम कटानशुदा रास्ते से पूर्व दिशा में फटकर अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 की भूमि ख.न. 397 रकबा 0.83 है0 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे 10 फीट चौडा प्रार्थी के खेत ख.न. 434 तक राजस्व रिकार्ड कायम करवाना चाहता है उक्त रास्ते को नजरी नक्शे में ए से बी बिन्दुओं से लाल रंग से दर्शाया गया है जो चालू है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिये अन्य कोई दूसरा रास्ता वैकल्पिक रास्ता नही है उक्त रास्ता नियरेस्ट व सोरटेस्ट है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। इसलये प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र वास्ते रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम करवाने के लिये पेश है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के लिये भूमि जिसे नजरी नक्शे में ए से बी बिन्दुओ से दर्शाया गया है मे जाती है के बदले में प्रार्थी अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 3 को अपनी भूमि देने के लिये तैयार है या न्यायालय जो भी विधि अनुसार आदेश पारित करेगा उस आदेश की पालना करने को तैयार है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र अं.धारा 251ए रा.का.अधि. पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को ग्राम चेलासी की भूमि ख.न. 434 रकबा 1.37है0 में आने जाने के लिये 10 फीट चौडा रास्ता जिसे प्रार्थना पत्र में ए से बी बिन्दुओं से दर्शाया है अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 की ग्राम चेलासी में स्थित भूमि ख.न. 397 रकबा 0.83 है0 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे दिलाया जावे उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रार्थी रास्ते मे जाने वाली भूमि के बदले अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 को अपनी भूमि देने के या डीएलसी रेट की दुगुनी रेट देने के लिये तैयार है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अनावेदक नं. 1 द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत चेलासी दिनांक 19.06.2018 को उपस्थित होकर एक सहमति पत्र प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि प्रार्थी द्वारा भूमि ख.न. 434 में पहूंच हेतु 10 फीट चौडा रास्ता चाहा गया है इस संबंध में निवेदन है कि भूमि ख.न. 397/0.83 है0 की खातेदारी गोविन्द विद्याधर मगना पिता गुलाराम नीकू पत्नी स्व0 गूलाराम कोम मेघवंशी के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता हम अप्रार्थीगण ख.न. 397 की उतरी सीमा से देने के लिये सहमत हैं। प्रार्थी द्वारा 10 फीट चौडा रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता की कुल भूमि यदि प्रार्थी अपने खेत ख.न. 434 में से अप्रार्थीगण को देना चाहता है तो हम हमारी भूमि ख.न. 397 की उतरी सीमा होकर 10 फीट चौडा रास्ता देने में सहमत हैं।

सहमति पत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। आवेदक द्वारा भी सहमति पत्र अनुसार भूमि देने की सहमति जाहिर की। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम चेलासी संवत 2066 से 2069 में भूमि ख.न. 434 रकबा 1.37 है0 की खातेदारी हीरा पुत्र मालाराम जाति मेघवंशी सा.देह खातेदार राहिन बीओबी शाखा नवलगढ मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। तथा इसी जमाबंदी में भूमि ख.न. 397 रकबा 0.83 है0 की खातेदारी गोविन्द विद्याधर मगना पि0 गुलाराम जिनकू पत्नी स्व0 गूलाराम हि.ब. कौम मेघवंशी राहिन विद्याधर मगना जिनकू हिस्सा 3/4 बैंक ऑफ बडौदा नवलगढ मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा भूमि के बदले भूमि देने के लिये तैयार होना वर्णित किया गया है तथा अप्रार्थीगण द्वारा इस संबंध में प्रार्थी को रास्ता की भूमि के बदले भूमि देने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अप्रार्थीगण द्वारा दी गई सहमति के अनुसार स्वीकार किया जाता है। सहमति पत्र निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम चेलासी की भूमि ख.न. 434 में पहुंच हेतु ख.न. 397 की उतरी सीमा से लगता हुआ पूर्व से पश्चिम की और 10 फीट चौडा रास्ता को गै0 मु0 रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त रास्ते की भूमि का माप करे तथा प्रार्थी द्वारा रास्ते के रकबे के बराबर भूमि अप्रार्थी को देने पर राजस्व रिकार्ड व नक्शा में मुताबिक आदेश सिवायचक करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 09.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/7/18

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner